

प्रतिवादी सं. 1 की शरत वाद में  
पक्षन अधिवक्ता ने पेश किया जिसे शांका दिया गया।  
पक्षे पत्रावली विपक्षी के जवाब हेतु निपट दिनांक  
11-6-24 को पेश हो।

11-6-24

पत्रावली पेश हुई, अभिमाषकगण द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने  
से पत्रावली दिनांक 11-6-24 को पेश हो।

23/7/24

में आधिकारिक  
पक्षी से कर्तव्य  
आगे कार्य  
कार्यवाही  
गती महता

Shivaji

23/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने उपास्थित  
होकर वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं  
चाहते हेतु निवेदन दिया। अतः वादीगण का  
वाद मत रिजल्ट में त्वरीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
मंडल जिला भीलयाड़ा